38–(08)–03–2014

पटना में दिनांक–27 मई, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ग्रामीण विकास विभाग

1. योजना बजट शीर्ष–2515–बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत तत्कालीन स्थापित संस्थान एवं वर्त्तमान में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के स्थापना व्यय, आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट उपबंधित 350.00 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) रूपये सहायक अनुदान के रूप में राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	1. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

2. लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 के गठन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख।	2. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के लौह प्रभावित 9 जिलों के बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 7457.00 लाख (चौहत्तर करोड़ सन्तावन लाख रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।	3. **इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि प्राथमिकता का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री करे।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत राज्य के 175 अदद् सौ ऊर्जा से संचालित एवं ट्रीटमेन्ट यूनिट युक्त मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रू० 2078.8212 लाख (बीस करोड़ अठहत्तर लाख बेरासी हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।	4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. " मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत वर्ष 2014–15 के लिये बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु कुल 55228 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹ 25868.961 लाख (दो सौ अनठावन करोड़ अड़सठ लाख छेयानबे हजार एक सौ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत विभाग के 76 अवर प्रमंडलों के स्तर पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं इनके पांच वर्षों तक संचालन तथा रख–रखाव हेतु 2245.44 लाख रूपये (बाईस करोड़ पैंतालिस लाख चौवालिस हजार रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 31 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल 5814.605 लाख (अन्ठावन करोड़ चौदह लाख साठ हजार पाँच सौ रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 11 आई०ए०पी० जिलों में पेयजल की सुविधा हेतु इण्डिया मार्क–II पम्प एवं सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प (डुवेल पम्प) के साथ 281 जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं इन योजनाओं के पांच वर्षो के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 2275.10 लाख (बाईस करोड़ पचहत्तर लाख दस हजार रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

विधि विभाग

9. न्यायमंडल बाँका के लिए अराजपत्रित वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के आवश्यक कुल–64 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

10.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में महिला विकास निगम (मुख्यालय), बिहार, पटना की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा जिला स्तरीय कार्यालय के संधारनार्थ कुल रूपये 2,50,00,000/–(दो करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

11.	बिहार कृषि सेवा कोटि–3 (रसायन) के वर्ग–2 एवं वर्ग–1 के पदों के सृजन, पदनाम में सम्परिवर्त्तन एवं अतिरिक्त पदों का प्रत्यर्पण।	11.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग

(मत्स्य)

12.	चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत आर्द्र जलक्षेत्र के विकास हेतु कुल ₹ 1700.00 लाख (सतरह करोड़) की लागत पर योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सब्सिडी के रूप में व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

13.	पशुधन सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 के गठन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख।	13.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

14.	त्रिस्तरीय पंयायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूष तथा महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, को विशेष मानदेय के लिए वर्ष 2014–15 में ₹ 1,95,00,00,000.00 (एक अरब पंचानवे करोड़ रू०) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में तत्काल उपबंधित राशि 5000.00 लाख रू० को आवंटित एवं व्यय करने तथा शेष 14500.00 लाख रू० की योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त होने के पश्चात् आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

	वित्त विभाग		
15.	अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.01.2014 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।	15.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
16.	पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2014 के प्रभाव से 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	16.	स्वीकृत।
	स्वास्थ्य विभाग		
17.	श्री बिन्देश्वर नायक, सेवानिवृत्त, उप निदेशक (फार्मेसी), स्वास्थ्य विभाग को अवमाननाबाद सं०–5060/2013 में दिनांक–14.03.2014 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालनार्थ लगातार सेवा में बनाये रखने हेतु प्रस्ताव।	17.	स्वीकृत।
	संसदीय कार्य विभाग		
18.	पंचदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश–सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।
	संसदीय कार्य विभाग		
19.	पंचदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 177 वाँ सत्र का सत्राहुत संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।
	शिक्षा विभाग		
20.	मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत बजट उपबंध में केन्द्रांश की कुल राशि 128229/–लाख (एक हजार दो सौ बेरासी करोड़ उनतीस लाख रू०), राज्यांश की कुल राशि 40000/–लाख (चार सौ करोड़ रू०) तथा मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण हेतु कुल राशि 300/–लाख (तीन करोड़ रू०) तदनुसार कुल 168529/–लाख (एक हजार छः सौ पचासी करोड़ उनतीस लाख रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	20.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

21.	देशी शराब का पेट बोतलों में निर्माण एवं बोतलबंदी कर BSBCL में थोक आपूर्ति करने संबंधी विभागीय संकल्प सं०–7056 दिनांक–24.10.2013 द्वारा निर्गत नीति में संशोधन।	21.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

22.	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 से संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।	22.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

23.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव कोटि, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–,ग्रेड पे ₹ 8,700/–से अपर सचिव के पद, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–,ग्रेड पे ₹ 8,900/–में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।	23.	स्वीकृत।